

हर वोट है जरूरी, मतदाता के रूप में आज ही पंजीकरण करवायें*

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ--226001

प्रेस-नोट

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के निर्वाचित 10(दस) सदस्यों, जिनका कार्यकाल दिनांक 02 अप्रैल, 2024 को समाप्त हो रहा है, के द्विवार्षिक निर्वाचन हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम नियत किया गया है:-

- | | |
|--|---|
| (1) नाम निर्देशन की अधिसूचना का दिनांक- | 08 फरवरी, 2024 (बृहस्पतिवार) |
| (2) नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक- | 15 फरवरी, 2024 (बृहस्पतिवार) |
| (3) नाम निर्देशनों की संवीक्षा हेतु दिनांक- | 16 फरवरी, 2024 (शुक्रवार) |
| (4) नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक- | 20 फरवरी, 2024 (मंगलवार) |
| (5) मतदान का दिनांक- | 27 फरवरी, 2024 (मंगलवार) |
| (6) मतदान का समय- | 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक |
| (7) मतगणना का दिनांक- | 27 फरवरी, 2024 (मंगलवार) सायं 5.00 बजे से |
| (8) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जायेगा। | 29 फरवरी, 2024 (बृहस्पतिवार) |

स्थान-लखनऊ।

दिनांक: 29.01.2024

नवदीप रिणवा
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या: 85(1)/सी0ई0ओ0-2-तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष/महामंत्री समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, विधान भवन, लखनऊ।
5. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. रिटर्निंग ऑफिसर, राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन/विशेष सचिव, विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को 25 अतिरिक्त प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रेस नोट को समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ को प्रसारणार्थ प्रेषित।
11. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ को प्रसारणार्थ प्रेषित।

(कुमार विनीत)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी।